भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1337
03 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय : सतत और सुदृढ़ कृषि उद्योग का विकास

1337. श्री इटेला राजेंदर:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार एक सतत् और सुदृढ कृषि उद्योग, जो कि अनिवार्य है, के विकास हेतु कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या चीन और भारत जैसे देश जिनके पास लघु कृषि का समान अनुभव है, फसलों के विकास के लिए आगे आ सकते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ देशों के पास अफ्रीकी कृषि को जलवायु के प्रति अधिक लचीला बनाने और मौसम पूर्वानुमान में सुधार करने के लिए उपग्रह प्रणालियां विकसित करने में सहायता करने के लिए सही अनुभव और साधन हैं और यदि हां, तो इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) : कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, स्टार्ट-अप्स के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय/ तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने के माध्यम से, नवाचार तथा कृषि उद्यमियों को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2018-2019 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत "नवाचार एवं कृषि -उद्यमिता विकास" कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। स्टार्ट-अप्स के प्रशिक्षण एवं इनक्यूबेशन तथा इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 5 नॉलेज पार्टनर्स (केपी) और 24 आरकेवीवाई एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर्स (आर-एबी) नियुक्त किए गए हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में उद्यमियों/ स्टार्ट-अप्स को 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता आईडिया/ प्री सीड स्टेज पर तथा 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता सीड स्टेज पर अपने उत्पादों, सेवाओं, व्यापार प्लेटफार्मों आदि को बाजार में लॉन्च करने और उनके उत्पादन को बढ़ाने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है। ये कार्यक्रम फसल-उपरांत प्रबंधन को आधुनिक बनाने, कोल्ड चेन सुविधाओं का विस्तार करने और बाजार पहुंच में सुधार करके भारत के कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए तैयार किए गए हैं। इनका लक्ष्य उत्पादन को बढ़ाना, फसल-उपरान्त नुकसानों को कम करना, किसानों के लिए बेहतर प्रतिलाभ सुनिश्चित करना तथा कृषि मूल्य श्रृंख्ला में सतत प्रगति का निर्माण करना है।

सरकार, केंद्रीय सहायता पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से, कृषि उत्पादकता को प्रोत्साहन दे रही है। इन प्रयासों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, फसल, बागवानी पद्धतियों को बढ़ाना और बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करना शामिल है। स्टोरेज सुविधाओं में सुधार हेतु, सरकार, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) योजना क्रियान्वित कर रही है, जो इंटेग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग (आईएसएएम) का एक घटक है। यह योजना, कृषि स्टोरेज क्षमता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों और वेयरहाउसेस के निर्माण या नवीनीकरण के लिए सहायता प्रदान करती है।
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) योजना, पूरे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को वित्तपोषित कर, सतत कृषि में सहायता प्रदान करती है। एआईएफ, वर्ष 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य के साथ, फार्म-गेट और ऐग्रगेशन पॉइंट परियोजनाओं के लिए बैंकों और अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं के माध्यम से, मध्यम और दीर्घकालिक ऋण की सुविधा प्रदान करता है। 2 करोड़ रुपए तक के ऋण में 9% की अधिकतम ब्याज दर, 3% वार्षिक ब्याज सबवेंशन और सात वर्षों तक के लिए क्रेडिट गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति शामिल है, जो लाभार्थियों के लिए ऋण वहन करने की क्षमता को सुनिश्चित करता है। एआईएफ योजना का उद्देश्य, एक सतत और सुदृढ़ कृषि उद्योग में सहायता प्रदान करना है, जो खेती और कृषि-औद्योगिक विकास दोनों में सहायता प्रदान करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करता है। औद्योगिक स्तर पर, एआईएफ, अन्य सरकारी योजनाओं जैसे फूड प्रोसेसिंग में प्रधानमंत्री फार्मालाईजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज (पीएमएफएमई) और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के साथ अभिसरण की सुविधा प्रदान करता है, जिससे मूल्य संवर्धन और इष्टतम मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित होती है। एआईएफ, एग्रीटेक स्टार्ट-अप और उद्यमियों को सशक्त बनाकर प्रेसिजन फार्मिंग और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में नवाचार को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त, यह एकोसिस्टम प्लेयर्स को जोड़ता है तथा अधिक प्रभाव के लिए उद्यमियों और किसानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। उपर्युक्त सभी, एआईएफ पहलें ग्रामीण औद्योगीकरण में सहायता प्रदान करता है, रोजगार के अवसर पैदा करता है और प्रासेस्ड कृषि वस्तुओं के बाजारों को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, हरित पद्धतियों, डिजिटल उपकरणों और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से, सततता को बढ़ावा देना एक अनुकूल कृषि उद्योग के विकास को सुनिश्चित करता है जो सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है।

(ख) से (घ): ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

*****